



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.06.2022

1-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी (आला कल्ल) बरामद।

दिनांक 28.06.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-457/2022 धारा 302,307,452,323,506 भादवि व मु0अ0सं0-057/2022 धारा 174ए भादवि में वांछित अभियुक्त भूरा उर्फ मुकेश पुत्र सतपाल निवासी-गांव साकीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के मकौडा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी (आला कल्ल) गांव साकीपुर के बाहर जंगल से बरामद की गई है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.06.2021 की रात्रि को अपने पिता व भाईयो के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त के वादी सोबिन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी गांव साकीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर के पिता महेन्द्र सिंह की धारदार हथियारो से हत्या कर दी गई थी तथा वादी के पिता को बचाने आये वादी की माता सीमा, बहन नेहा व भाई तनीष के ऊपर भी धारदार हाथियारों से जाने से मारने की नियत से हमला किया गया था घटना के उपरांत अभियुक्त अपने पिता व भाईयो के साथ फरार हो गया था। पुलिस द्वारा तभी से सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्त भूरा उर्फ मुकेश के गिरफ्तार न होने पर उच्चाधिकारीगण द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25000/- रुपये इनाम की घोषणा की गयी थी।

अभियुक्त का विवरण:

भूरा उर्फ मुकेश पुत्र सतपाल निवासी-गांव साकीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0-457/2022 धारा 302,307,452,323,506 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0-57/2022 धारा 174ए भादवि बनाम भूरा थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0-353/2019 धारा 323/506/308 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी (आला कल्ल)



2-थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 04 कुन्तल 25 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 42 लाख 50 हजार रुपये) तथा गांजा तस्करी में प्रयोग में लाई जा रही टाटा डीसीएम गाड़ी बरामद।

दिनांक 29.06.2022 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर अजीत कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी नगला केहरी, थाना बेवर, जिला मैनपुरी को थाना क्षेत्र के पंचशील अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 कुन्तल 25 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 42 लाख 50 हजार रुपये) तथा गांजा तस्करी प्रयोग में लाई जा रही टाटा डीसीएम गाड़ी एचआर 38 एस 7805 बरामद की गई है। अभियुक्त उक्त गांजा को टाटा डीसीएम बंद बाड़ी गाड़ी डार्क पार्सल में सामान के पीछे छिपाकर ले जा रहा था। उपरोक्त गांजा को उड़ीसा प्रांत से कर लाकर दिल्ली, हरियाणा आदि एनसीआर क्षेत्र के जनपदों में सप्लाई कर लाखों की अवैध धन अर्जन करते हैं।

अभियुक्त का विवरण:

अजीत कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी नगला केहरी, थाना बेवर, जिला मैनपुरी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 276/2022 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 04 कुन्तल 25 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 42 लाख 50 हजार रुपये)
2. टाटा डीसीएम गाड़ी एचआर 38 एस 7805
3. घरेलू सामान गद्दा, बैड, कुर्सी, मेज, अलमारी, सर्किल, एयर कन्डीशनर, बाइक आदि सामान।
4. गाड़ी के कागजात व टैक्स रशीद व परमिट।



3-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लुटेरों अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी सोने की 03 चैन, अवैध हथियार, लूटा हुआ आईडी कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 29.06.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लुटेरों अभियुक्त 1.सौरभ यादव उर्फ गोली पुत्र तापस निवासी सेक्टर-12, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर, 2.सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, दामोदर बिहार, थाना खोडा, गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के एफएनजी रोड सब्जी मंडी चौकी क्षेत्र सी ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गयी सोने की 03 चैन, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, लूटा हुआ 01 आईडी कार्ड सम्बन्धित मु0अ0सं0 215/22 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-63 व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गई है।

अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरों है जिनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र में जगह-जगह से चैन स्नेचिंग की गयी है जिसके सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह तीनों चैन हमने मिलकर इन्द्रापुरम व वैशाली गाजियाबाद क्षेत्र से छिनी थी पूर्व में लूटी गयी 02 चैनों को हमने राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताते हुए 18,000-13,000 रूपये में बेच दिया था, बेचने से प्राप्त रूपयों को आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। करीब आठ दिन पहले सी ब्लॉक, सेक्टर-63 से एक लडकी(मीडियाकर्मी) से एक बैग छीना था जिसमे कुछ कागजात कुछ सफेद धातु की अंगूठी, चार्जर, दवाइयाँ और ये आईडी कार्ड मिले थे आईडी कार्ड मैने अपने पास इसलिए रख लिया क्योंकि ऐसा ही मीडिया का कार्ड मैं अपने लिये बनवाना चाहता था।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.सौरभ यादव उर्फ गोली पुत्र तापस निवासी सेक्टर-12, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 2.सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, दामोदर बिहार, थाना खोडा, गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

सौरभ यादव उर्फ गोली पुत्र तापस निवासी सेक्टर-12, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर

- 1.मु0अ0सं0 199/16 धारा 380 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

- 2.मु0अ0सं0 686/16 धारा 392/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।
- 3.मु0अ0सं0 687/16 धारा 4/25 ए एक्ट थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।
- 4.मु0अ0सं0 1129/16 धारा 356 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।
- 5.मु0अ0सं0 523/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खोडा, गाजियाबाद।
- 6.मु0अ0सं0 206/18 धारा 394/411/414 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
- 7.मु0अ0सं0 204/18 धारा 25 ए एक्ट थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
- 8.मु0अ0सं0 819/18 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 9.मु0अ0सं0 298/18 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 10.मु0अ0सं0 295/18 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 11.मु0अ0सं0 246/20 धारा धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 12.मु0अ0सं0 200/2020 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
- 13.मु0अ0सं0 524/2018 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 14.मु0अ0सं0 523/2018 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 15.मु0अ0सं0 417/19 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 16.मु0अ0सं0 416/19 धारा 25 ए एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 17.मु0अ0सं0 412/19 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 18.मु0अ0सं0 408/19 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 19.मु0अ0सं0 63/2020 धारा 323,393,427,506 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
- 20.मु0अ0सं0 215/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 21.मु0अ0सं0 224/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 22.मु0अ0सं0 225/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 23.मु0अ0सं0 784/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद।
- 24.मु0अ0सं0 801/22 धारा 392 भादवि थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद।
- 25.मु0अ0सं0 242/22 धारा 392 भादवि थाना कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद।
- 26.मु0अ0सं0 289/22 धारा 392 थाना कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद।

सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता निवासी साहिल पब्लिक स्कूल के पास, दामोदर बिहार, थाना खोडा, गाजियाबाद

- 1.मु0अ0सं0 691/16 धारा 25 ए एक्ट थाना खोडा, जनपद गाजियाबाद।
- 2.मु0अ0सं0 224/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 784/22 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद।
- 4.मु0अ0सं0 801/22 धारा 392 भादवि थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद।
- 5.मु0अ0सं0 242/22 धारा 392 भादवि थाना कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद।
- 6.मु0अ0सं0 289/22 धारा 392 थाना कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:

- 1.लूटी गयी सोने की 03 चैन
- 2.01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस
- 3.लूटा हुआ 01 आईडी कार्ड सम्बन्धित मु0अ0सं0 215/22 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-63।
- 4.घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

